IN THE COURT OF A.D.J-X, KAIMUR AT BHABUA

Str. No. 352/2017

दिनांक 19.04.2022	सभी तीन अभियुक्तों में काराधीन अभियुक्त को भी0सी0 के माध्यम से उपस्थापन कराया गया। अन्य दो अभियुक्त की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन है, जो सिर्फ आज के लिए स्वीकृत किया गया। अभियोजन की हाजिरी है। अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश</u>** अभियोजन की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.03.2022 अंतर्गत धारा–311 द0प्र0सं0 पर कथन किया गया कि उक्त वाद दिनांक 07.03.2022 को अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित था। एक मुदालय कस्टडी में रहने के वजह से वाद में दिनांक 14.03.2022 को बयान वास्ते निश्चित किया गया। आज न्यायालय में अभियोजन के गवाह राधेश्याम पाण्डेय गवाही देने के लिए मौजूद है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाए कि न्याय होवें। उक्त आवेदन पर दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 08.04.2022 पर बचाव पक्ष द्वारा कथन किया गया कि उक्त आवेदन कानूनन पोषनीय नहीं है। उक्त वाद में दिनांक 02.01.2018 को आरोप का गठन किया गया है, तबसे लेकर दिनांक 07.03.2022 तक अभियोजन के साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु वाद लंबित रहा। अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अभियोजन का आवेदन दिनांक 24.03.2022 अंतर्गत धारा–311 द0प्र0सं0 को खारिज करने की कृपा की जाए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिया गया था। परन्तु वाद के न्यायसंगत निर्णयण हेतु अभिलेख पर साक्षीगण का साक्ष्य आना अति आवश्यक है। अतः अभियोजन का आवेदन दिनांक 24.03.2022 अंतर्गत धारा–311 द0प्र0सं0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। चूँकि आरोप पत्र के साक्षी कॉलम में कुल 7 गवाह है। अतः अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सात तिथि का समय दिया जाता है। दिनांक 25.04.2022 वास्ते साक्ष्य। लेखापित ह0/– अपर सत्र न्यायाधीश–दशम् कैमूर, भभुआ